



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE  
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS  
 सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय  
 OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS  
 सीमा शुल्क गृह, विल्लिंगडन आईलैंड, कोचिन  
 CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: [www.cochincustoms.gov.in](http://www.cochincustoms.gov.in)

E-mail: [cochincustoms@nic.in](mailto:cochincustoms@nic.in)

Control Room: 0484-2666422

Fax: 0484-2668468

F.No. CUS/BBG/MISC/348/2024-IMP/Bond -O/o COMMR-CUS-COCHIN

DIN: 20250458MB000000EE9D दिनांक Date: अनुमोदित तिथि Approved Date

### **सार्वजनिक सूचना संख्या PUBLIC NOTICE No.06/2025**

कृपया सभी का ध्यान परिपत्र संख्या 10/2025-सीमा शुल्क दिनांक 28.03.2025 तथा अधिसूचना संख्या 20/2025-सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 28.03.2025 की ओर आकर्षित किया जाता है।

Kind attention is invited to the Circular No. 10/2025-Customs dated 28.03.2025 and Notification No. 20/2025-Customs (N.T.) dated 28.03.2025.

2. बोर्ड ने सी-कार्गो मैनिफेस्ट तथा ट्रांसशिपमेंट विनियमन (एससीएमटीआर), 2018 के कार्यान्वयन की जाँच की है और यह नोट किया गया है कि कार्गो के आगमन पर वाहक द्वारा दाखिल किए जाने वाले संदेशों को अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, समुद्री बंदरगाहों पर कार्गो के निर्यात पर वाहक (शिपिंग लाइन्स/फ्रेट फारवर्डर्स सहित) द्वारा दाखिल किए जाने वाले संदेशों का अभी तक पर्याप्त रूप से परीक्षण नहीं किया गया है, जिसके कारण एससीएमटीआर का कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। इसी तरह, ट्रांसशिपमेंट संदेशों का भी ट्रांसशिपर्स (शिपिंग लाइन्स, कस्टोडियन, ट्रेन ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो) द्वारा परीक्षण नहीं किया गया है।

The Board has examined the implementation of the Sea Cargo Manifest and Transshipment Regulations (SCMTR), 2018 and it has been noted that the messages to be filed by Carriers on arrival of the cargo has been made mandatory. However, the messages to be filed by Carriers (including Shipping Lines/Freight Forwarders) on export of cargo at sea

ports has not yet been tested sufficiently, leading to non-implementation of SCMTR. Similarly, transshipment messages have also not been tested by transshippers (shipping lines, custodians, train operators, as the case may be).

**3.** इस संबंध में, अधिसूचना संख्या 38/2018-सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 11 मई, 2018 के माध्यम से जारी सी कार्गो मैनिफेस्ट तथा ट्रांसशिपमेंट विनियमन (एससीएमटीआर), 2018 के विनियम संख्या 13 में दिए गए दंडात्मक प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार, कोई अधिकृत वाहक जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, उस पर पचास हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह अपेक्षा की जाती है कि, जहाँ तक यह एससीएमटीआर के कार्यान्वयन से संबंधित है संबंधित हितधारक कानूनी प्रावधानों का अनुपालन करेंगे तथा वे इस प्रकार दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेंगे।

In this regard, attention is invited to penal provisions provided in the Regulation no. 13 of the Sea Cargo Manifest and Transshipment Regulations (SCMTR), 2018 issued vide notification no. 38/2018-Customs (N.T.) dated 11th May, 2018, wherein, an authorized carrier who contravenes any provision of these regulations shall be liable to a penalty which may extend to rupees fifty thousand. It is expected that the respective stakeholders comply with the legal provisions, so far as it relates to the implementation of the SCMTR, thus not attracting penal provisions

**4.** अतः अंतिम सुविधा उपाय के रूप में, एससीएमटीआर हेतु संक्रमणकालीन प्रावधानों को 31.05.2025 तक बढ़ाया जा रहा है, ताकि सभी हितधारकों द्वारा बिना किसी दंडात्मक प्रावधानों के इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्धारित प्रारूप में घोषणाएं प्रविष्ट करने के लिए उपलब्ध अंतरिम समय का लाभ उठाया जा सके।

Hence, as a last facilitation measure, the transitional provisions for the SCMTR is being extended till 31.05.2025, so that the interim time available be gainfully utilized by all the stakeholders for filing declarations in the prescribed format electronically without any penal provisions.

**5.** इस संबंध में आने वाली किसी भी कठिनाई को सीमा शुल्क गृह, कोचिन, विल्लिंगडन आईलैंड में उप/सहायक आयुक्त सीमा शुल्क (आयात और बांड) के संज्ञान में लाया जाए।

Any difficulty faced in this regard may be brought to the notice of the Deputy/Assistant Commissioner of Customs (Import & Bonds) at Custom House, Cochin, Willingdon Island.

**गुरकरण सिंह बैस Gurkaran Singh Bains**  
**आयुक्त (Commissioner)**

प्रति To,

1. केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. रोड, कोचिन-682 018  
The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiurvananthapuram Zone, C.R. Building, I.S. Road, Cochin-682 018
2. ईडीआई अनुभाग - कोचिन सीमा शुल्क गृह की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए  
EDI- To Publish in Cochin Customs Website
3. सूचना पट्ट Notice Board